भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 159
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पेट्रोल पंप आवंटन योजना

***159. श्री अनिल फिरोजिया:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए उन्हें पेट्रोल पंप प्रदान किए जाने की योजना बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को पुन: शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कोटे के तहत आवंटित पेट्रोल पंप को किसी बड़े व्यवसायी द्वारा अपने कब्जे में लिए जाने और उसके वास्तविक मालिक द्वारा वहां एक कर्मचारी के रूप में 10,000 रुपये से 12,000 रुपये में काम किए जाने के किसी मामले का संज्ञान लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) भविष्य में ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए क्या नीति अपनाई जाने की संभावना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पेट्रोल पंप आवंटन योजना" के संबंध में संसद सदस्य श्री अनिल फिरोजिया द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 159 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड़) दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) को विघटित करने के बाद, एससी और एसटी सहित सभी श्रेणियों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरों का चयन/निरस्तीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा स्वयं ही किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज के लिए मौजूदा डीलर चयन दिशानिर्देशों, 2023 के अनुसार, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 22.5 प्रतिशत (15 प्रतिशत एससी+7.5 प्रतिशत एसटी) विज्ञापित स्थलों को आरक्षित किया जाता है। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम के राज्यों में क्रमश: 70, 80, 80 और 90 प्रतिशत विज्ञापित स्थलों को एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाता है। देश में आरओ डीलरशिपों के आबंटन के लिए विस्तृत मानक/मानदंड/आरक्षण www.petrolpumpdealerchyan.in/petrol-2023/ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरओ से संबंधित शिकायतें समय-समय पर सरकार को प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसे संबंधित ओएमसीज को अग्रेषित किया जाता है। चयन के बाद, पीएसयू ओएमसीज डीलर के साथ डीलरशिप करार का निष्पादन करती है। डीलरशिप करार के अनुसार, डीलर सभी आरओ डीलरशिप पर नियंत्रण करने के लिए बाध्य है। इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लंघन डीलरशिप करार के उल्लंघन के रूप में माना जाता है, जिसके कारण डीलरशिप समाप्त हो सकता है। इसके अलावा, बेनामी प्रचालनों के संबंध में डीलरों के प्रत्यय-पत्रों को सत्यापित पीएसयू के ओमसीज द्वारा नियमित आधार पर किया जाता है। बेनामी प्रचालनों के स्थापित मामलों पर डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पीएसयूज के ओएमसीज के मौजूदा पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुसार, एससी/एसटी को आबंटित किए गए आरओज को एससी/एसटी डीलर के पास शेष बचे हुए पण को नियंत्रित करते हुए केवल अधिकतम 25 प्रतिशत शेयर सहित गैर-एससी/गैर-एसटी श्रेणी के पक्षकार को शामिल करके तीन वर्षों बाद पुनर्गठित किया जा सकता है।

*****